झारखण्ड सरकार
कल्याण विभाग।

सं०सं०–04/मुख्य सचिव बै०–001/2016(क०) - 1841

प्रेषक,

राजीव अरूण एक्का,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी परियोजना निदेशक, आई०टी०डी०ए०,
सभी जिला कल्याण पदाधिकारी(आई०टी०डी०ए० क्षेत्र छोड़कर),
झारखण्ड।

राँची/दिनांक– 14/6/16

विषयः– **डी०बी०टी० के माध्यम से छात्रवृत्ति एवं साईकिल की राशि के भुगतान के संबंध में।**

प्रसंगः– **मुख्य सचिव कार्यालय का पत्रांक– 560, दिनांक– 02.06.2016, पत्रांक–1703, दिनांक–02.06.2016 एवं कल्याण विभाग का पत्रांक 1720, दिनांक– 03.06.2016**

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में कहना है कि मुख्य सचिव के पत्रांक– 1703, दिनांक– 02.06.2016 के कंडिका–2 में निर्देशित किया गया था कि कक्षा 5 से 10 तक के छात्र–छात्रों की साईकिल/छात्रवृत्ति आवेदन पत्र प्राप्त करते समय बैंक खाते के साथ आधार संख्या की अनिवार्यता सुनिश्चित की जाएगी तथा बैंक खाता के साथ आधार सिडिंग कराते हुए 30 जून तक सभी छात्र–छात्राओं का डाटा ई–कल्याण के प्रोटल पर अपलोड करते हुए डी०बी०टी० के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।

माह जुलाई के प्रथम सप्ताह में मुख्यं सचिव के द्वारा उक्त विषय पर पुनः समीक्षा किये जाने की सम्भावना है।

अतः निदेशित किया जाता है कि मुख्य सचिव द्वारा निर्धारित तिथि 30 जून तक सभी छात्र–छात्राओं के बैंक खाते के साथ आधार सिडिंग करवाना सुनिश्चित किया जाए। किसी भी परिस्थिति में DBT के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से साईकिल/छात्रवृत्ति का भुगतान वित्तीय वर्ष 2016–17 में नहीं किया जाएगा।

अगली मासिक बैठक में कुल छात्रों की संख्या के विरूद्ध कक्षावार सिडिंग कराये गये खातों की संख्या का प्रतिवेदन आवश्यक रूप से लाऐंगे।

विश्वासभाजन

13.6.16

(राजीव अरूण एक्का)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः–1841 राँची, दिनांकः 14/6/16

प्रतिलिपिः– सभी उपायुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.6.16

(राजीव अरूण एक्का)
सरकार के सचिव।

E:\Tanveer Alam\C.K. Singh Sir\Hindi Letter.doc